

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 158]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 अप्रैल 2013—चैत्र 16, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2013

क्र. एफ 17-03-2013-एक-4.—मेनोवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (5, सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, जबलपुर जिले के खमरिया फील्ड फायरिंग रेंज में नीचे उल्लेखित किये गये क्षेत्र को निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र के रूप में निर्धारित करता है, जिसके भीतर 01 अप्रैल 2013 से प्रारंभ होने वाले तथा दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले 10 वर्षों की कालावधि के दौरान जबलपुर तहसील में 1169.15 हेक्टेयर में 971.59 हेक्टेयर एवं सिहोरा तहसील में 881.34 हेक्टेयर में से 436.05 हेक्टेयर क्षेत्र में मैदानी गोलावारी तथा तोप अभ्यास का किया जाना प्राधिकृत किया जा सकेगा.

(2) फील्ड फायरिंग रेंज के अंतर्गत एवं आसपास रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित रेंज के कमांडिंग आफीसर की होगी. राज्य शासन द्वारा भविष्य में भी यदि कोई शर्त निर्धारित की जाती है, तो उन शर्तों को मानने के लिए सेना विभाग बाध्य होगा.

(3) भू-रेखांक का निरीक्षण रोस्टर कलेक्टर, जिला-जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकेगा. क्षेत्र का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

जिला (1)	तहसील (2)	रा.नि. मंडल (3)	ग्राम (4)	प.ह.नं. (5)	नं. बदोबस्त (6)
जबलपुर	जबलपुर	महाराजपुर	बंधी	15	124
		पनागर	भौरहा	13	152
		पनागर	तिलगवां	13	213
		पनागर	पडरी	12	266
		महाराजपुर	रिठौरी	15	400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	पनागर	ककरहाई	12	82
		पनागर	केर	13	461
		पनागर	सकरी	12	417
		पनागर	गांजर	13	624
		पनागर	कंजनिया (डिजर्टेड)	13	86
		पनागर	पथरोरा (डिजर्टेड)	13	255
जबलपुर	सिहोरा	मझगवां	पिपरसरा	83	432
		खितौला	पोंडीखुर्द	82	464
		खितौला	मढोद	82	580
		मझगवां	मडई	83	691

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**प्रभात पाराशर, सचिव.**